न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 147/2022/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी

दायरा दिनांक 04.11.2022

अन्तर्गत धाराः अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उनवान

छीत्या पुत्र बाला जाति कुम्हार आयु 75 वर्ष, निवासी ब्राम जलोदा तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी राज०

...अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार केशोरायपाटन जिला बून्दी राज०

...रेस्पो.

उपस्थित : श्री जितेन्द्र चौरसिया अभिभाषक –अपीलांट
रेस्पो0 पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 17.03.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केशोरायपाटन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.02.2017 के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार, के0पाटन के द्वारा पत्र क्रमांक टीआरए/17/163 दिनांक 30.01.2017 से उपखण्ड अधिकारी, के0पाटन को गैर खातेदारी से खातेदारी प्रस्ताव प्रेषित किये गये। जिसके अनुसार छीत्या पि0 बाला जाति कुम्हार निवासी जलोदा को जरिये मि0 नं0 39/89 से वाक माल जलोदा के आवंटित खसरा सं0 620, 628 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा व 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि आवंटित हुई है। जिसके नवीन हाल खसरा सं0 651, 652, 657 रकबा 0.09, 0.21, 0.16 है0 कुल किता 3 रकबा 0.46 है0 भूमि का आवंटी के द्वारा संपूर्ण आरक्षित मूल्य मय पट्टा फीस संलग्न प्रस्तावनुसार राशि राजकोष में जमा करवायी जा चुकी है। रिपोर्ट पटवारी हल्का जलोदा के अनुसार उपरोक्त आराजी खसरा सं0 651, 652 पर आवंटी स्वयं मौके पर कब्जा काश्त है एवं 657 रकबा 0.16 है0 पर कब्जे संबंधी विवाद है। उक्त भूमि (खसरा सं0 657 रकबा 0.16 है0) के संबंध में न्यायालय में प्रकरण जेरकार नहीं है एवं आवंटन खारिज नहीं हुआ है। इस प्रकार तहसीलदार, के0पाटन द्वारा आवंटी श्री छीत्या पि0 बाला जाति कुम्हार निवासी जलोदा को उक्त आराजी ख0नं0 651, 652 पर खातेदारी देने एवं खसरा सं0 657 रकबा 0.16 निरस्त करने बाबत् प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी, के0पाटन को प्रेषित किये गये। तत्पश्चात् प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन द्वारा आदेश दिनांक 28.02.2017 से आवंटी छीत्या को ग्राम जलोदा का खसरा संख्या 651 रकबा 0.09 है0, खसरा सं0 652 रकबा 0.21 है0 पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये एवं खसरा सं0 657 रकबा 0.16 है0 को राजकीय सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित किया गया।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

2. अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 28.02.2017 से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील इस न्यायालय में पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट आवंटन के पश्चात से ही उक्त कृषि भूमि पर निरन्तर काश्त करता चला आ रहा है तथा अपना जीवन यापन करता चला आ रहा है परन्तु तहसीलदार केशोरायपाटन की रिपोर्ट दिनांक 30.01.2017 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नं0 657 रकबा 0.16 है० आराजी पर कब्जे से संबंधी विवाद अंकित कर उक्त खसरा नम्बर को सिवायचक दर्ज करने बाबत आदेश पारित कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून के विपरीत उक्त निर्णय पारित किया गया है, क्योंकि कृषि भूमि आवंटन होने के पश्चात तथा उसकी समस्त राशि जमा करवाने के पश्चात किसी भी प्रकार से आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नं० 657 पर अपीलान्ट आवंटी का कब्जा नहीं मानकर उक्त निर्णय पारित कर दिया, जबकि उक्त कृषि भूमि का कब्जा एवं दखलनामा अपीलांट आवंटी को प्रदान किया जा चुका था तथा अपीलान्ट/आवंटी आवंटन के पश्चात निरन्तर काश्त करता चला आ रहा था। परन्तु फिर योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कब्जा संबंधी विवाद मानकर उक्त खसरा नम्बर को सिवायचक दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने में कानूनी त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.02.2017 में खसरा नं0 657 की 0.16 है. आराजी वाके माल जलोदा तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी को सिवायचक दर्ज करनें के आदेश को निरस्त फरमाया जाकर उक्त खसरा नं0 657 की 0.16 है० को अपीलान्ट के खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहसीलदार केशोरायपाटन की रिपोर्ट दिनांक 30.01.2017 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नं0 657 रकबा 0.16 है० आराजी पर कब्जे से सम्बन्धित विवाद अंकित कर उक्त खसरा नम्बर को सिवायचक दर्ज करने बाबत आदेश पारित कर दिया है। जबकि तहसीलदसार, केशोरायपाटन द्वारा रिपोर्ट दिनांक 30.01.2017 में यह अंकित किया है कि उक्त भूमि के संबंध में न्यायालय में प्रकरण जेरकार नहीं है तथा आवंटन खारिज नहीं हुआ है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून के विपरीत उक्त निर्णय पारित किया गया है, क्योंकिं कृषि भूमि आवंटन होने के पश्चात तथा उसकी समस्त राशि जमा करवाने के पश्चात किसी भी प्रकार से आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नं० 657 पर अपीलान्ट आवंटी का कब्जा नहीं मानकर उक्त निर्णय पारित कर दिया, जबकि उक्त कृषि भूमि का कब्जा एवं दखलनामा अपीलांट आवंटी को प्रदान किया जा चुका था तथा अपीलान्ट आवंटी आवंटन के पश्चात निरन्तर काश्त करता चला आ रहा था। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 28.02.2017 में खसरा नं0 657 की 0.16 है. आराजी वाके माल जलोदा तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी को सिवायचक दर्ज करने के आदेश को निरस्त फरमाये जाने एवं खसरा नं0 657 की 0.16 है० को अपीलान्ट के खातेदारी में दर्ज किये जाने का अनुरोध किया गया।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। प्रकरण में प्राप्त प्रस्ताव एवं मुताबिक रिपोर्ट के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 28.02.2017 पारित किया गया है।

6. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील को अवधि मध्य माने जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। यहां यह उल्लेख किया जाना भी उचित प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2017 के विरूद्ध अपील दिनांक 07.09.2017 को न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के यहां पेश किये जाने पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा अपील दिनांक 13.09.2017 को दर्ज रजिस्टर की गई। इसके उपरांत प्रकरण में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 1(17)राजस्व–6/2019/112 दिनांक 17.10.2019 के द्वारा क्षेत्राधिकार राजस्व अपील प्राधिकारी से इस न्यायालय को प्रदत्त होने से अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 04.11.2022 को दर्ज रजिस्टर की गई। इस प्रकार प्रकरण में अपीलांट द्वारा धारा–5 प्रार्थना–पत्र में विवेचित तथ्यों के परिपेक्ष्य में न्यायहित में मियाद कण्डोन करने के उपरांत इस स्टेज पर अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

7. प्रकरण का गुणावगुण पर अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार आराजी खसरा सं0 657 रकबा 0.16 पर मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होने तथा कब्जे संबंधी विवाद होने के आधार पर उक्त आराजी पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं होने से राजकीय सिवायचक दर्ज करने का आदेश दिनांक 28.02.2017 पारित किया गया है। जबकि प्रकरण में खसरा सं0 657 रकबा 0.16 में कब्जा संबंधी विवाद की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है एवं तहसीलदार, के0पाटन के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 30.01.2017 में भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि के संबंध में न्यायालय में प्रकरण जेरकार नहीं है एवं आवंटन खारिज नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में कब्जे के आधार पर आवंटी को किये गये आवंटन को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रकट नहीं होता है। प्रकरण में आवंटन के समय पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 06.01.1989 अनुसार वादग्रस्त आराजी आवंटी के कब्जे में होना अंकित है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन द्वारा आदेश दिनांक 28.02.2017 का भाग **"खसरा सं0 657 रकबा 0.16 है0 को राजकीय सिवायचक दर्ज किया जावे"** को अपास्त किया जाता है। प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है कि **खसरा सं0 657 रकबा 0.16 है0 के संबंध** मे विवेचित उपरोक्त तथ्यों का समुचित परीक्षण कर अपीलांट को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर पुनः तर्कसंगत एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

8. निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा